राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक नि0 1013 -I-/15 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3-8-15	यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे केवल स्टाम्प अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अन्तर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 179/बी-103/धारा 33/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21-05-2015 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गयी है। 2/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि विकय इकरारनामें ही प्रश्नाधीन सम्पत्ति का कब्जा केता को दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। दस्तावेज में उल्लखित तथ्यों के आधार पर स्टाम्प ड्यूटि का निर्धारण किया जा सकता है। कलेक्टर आफ स्टाम्प ने अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर के न्यायालय में दायर वादपत्र में किये गये उल्लेख के आधार पर इकरारनामें में सम्पत्ति का कब्जा दिया जाना मानने में भूल की है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर	

निर्मित अस्पताल का संचालन निर्मित ट्रस्ट व्दारा किया जा रहा है और उसमें सहक्रेता गीता बघेल सदस्य या पदाधिकारी नहीं है। आवेदक अभिभाषक व्दारा 2014(3) एम पी एल जे पृष्ठ 16 की ओर ध्यान आकर्षित कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

3/ मैने विक्रय इकरारनामा का गम्भीरतापूर्वक परीक्षण किया। आवेदक श्रीमती पुष्पलता ठाकुर ने कलेक्टर आफ स्टाम्प, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत शपथपत्र की कण्डिका–5 में स्वयं यह अंकित किया है कि –

" विक्रय अनुबंधित संपत्ति पर पूर्व में डा0 कमला गुप्ता मेमोरियल नर्सिंग होग के नाम से अस्पताल का संचालन श्री धर्मेन्द्रसिंह ठाकुर व्दारा किया जाता था, वर्तमान में उक्त विक्रय अनुबंधित संपत्ति पर के.एल. मेमोरियल समिति जो कि पंजीकृत संस्था है, के व्दारा के.एल. मेमोरियल सोसायटी के नाम से अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। "

उक्त समिति में धमेन्द्रसिंह ठाकुर अध्यक्ष हैं तथा पुष्पलता ठाकुर उपाध्यक्ष हैं जो क्रेता परिवार के सदस्य हैं। कु. श्वेता गुप्ता व्दारा अपने शपथपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों से प्रश्नाधीन भूमि पर अस्पताल का संचालन किया जाना व कब्जेदार पुष्पलता ठाकुर पति धमेन्द्र

3

ठाकुर व्दारा कमिर्शिलय हास्पिटल का संचालन करना नगर निगम जबलपुर में टैक्स भुगतान में अंकित है। विकय इकरारनामा की शर्त कमांक–1 में यह अंकित है कि –

" यह विकय इकरारनामा पक्षकारों के व्दारा आज दिनांक 17–10–01 को तय किया गया है जिसमें अस्पताल का पूर्ण सामान भी है। "

विकय अनुबन्ध अस्पताल के सामान सहित किये जाने का उल्लेख विकय इकरारनामा में है और प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक व्दारा संस्था के नाम से अस्पताल का संचालन किया जा रहा है, इस कारण कलेक्टर आफ स्टाम्प व्दारा विकय इकरारनामा कब्जे सहित होना मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। आवेदक व्दारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से इस प्रकरण में लागू होना मान्य नहीं किया जा सकता।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश दिनांक 21–05–15 यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। यह प्रकरण समाप्त हों।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य

BEFORE THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY, GWALIOR, (M.P.)

निगरानी 7013-I-15

Revision No.__________/2015

(5/4)

APPLICANT

Smt. Pushplata Thakur, aged about 50 years, wife of Shri Dharmendra Singh Thakur, resident of 21, Nehru Nagar, Opposite Medical College, Jabalpur.

16 JUN 2015

VERSUS

NON-APPLICANTS

1. Ku. Shweta Gupta, aged about 21 years, daughter of Late Dr. Kamla Gupta, resident of 1837, Gupteshwar Ward, Kripal Chowk, Jabalpur, (M.P.)

2. Collector of Stamps, Jabalpur, Civic Centre, Jabalpur, (M.P.)

3. Smt. Geeta Baghel, wife of Dr. K.D. Baghel, resident of Nehru Nagar, Opposite Medical College Jabalpur.

REVISION UNDER SECTION 56(4) OF THE INDIAN STAMP ACT, 1899

PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST WHICH THIS REVISION IS MADE:

The applicant being aggrieved by an order dated